झारखंड उच्च न्यायालय रांची आपराधिक अपील (खण्डपीठ) संख्या 112/1995(पी)

[सत्र वाद संख्या 116/1993 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 22.04.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 25.04.1995 के सजा के आदेश के विरुद्ध]

2 बोदर मरांडी, पुत्र दुर्गा मरांडी, निवासी जिलिमिली, थाना-काटीकुंड, जिला-दुमका।

... अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

... ... उत्तरदाता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता के लिए : श्री आदित्य रमन, एमिकस क्यूरी उत्तरदाता के लिए : श्रीमती वंदना भारती, विशेष पी.पी.

सी.ए.वी. 23.01.2024 को 21 .02.2024 को सुनाया गया

प्रति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.

1. उपरोक्त एकमात्र अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374
(2) के तहत इस तत्काल अपील को 22.04.1995 के दोषसिद्धि के निर्णय और सत्र वाद संख्या 116/1993 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित सजा के आदेश दिनांक 25.04.1995 के खिलाफ दायर किया है, जो काठीकुंड से उत्पन्न हुआ है

मुनि मुर्मू की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दर्ज थाना कांड संख्या 29/1992 (जीआर - 3 -

वाद संख्या 681/1992) जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कठोर कारावास भ्गतने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रबित मरांडी (वादी साक्षी-6) द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. (प्रदर्श-2) में दर्शाई गई अभियोजन कहानी में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए कि 16.07.1992 को सुबह सूचक की मां (अब मृतक) और उसकी पत्नी अर्थात् बहमुनी हांसदा (वादी साक्षी-5) गाय के गोबर का निपटान करने के लिए अपने खेत में गई थी। सूचक अपने घर में था और कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी की चीख स्नी कि उसकी मां के साथ मारपीट की गई है तो वह घटना स्थल की ओर भागा और अपने खेत के मेड के पास पह्ंचा, तभी वहां उसने देखा कि आरोपी हिलार मरांडी टांगी से लैस, बोदर मरांडी (अपीलकर्ता) सबल से लैस, बोवा मरांडी और धेना मरांडी सूचना देने वाले की मां को खेत में पटककर टांगी और सबल के साथ मारपीट कर रहे थे सूचक ने भी शोर मचाया, तब कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आरोपी व्यक्ति घटना स्थल से भाग गए। गवाह और सूचक की पत्नी ने सूचना देने वाले की घायल मां को कीचड़ और पानी से सने खेत से निकालकर लाये और उसे खेत की मेड़ पर रख दिए, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि घटना के एक महीने पहले आरोपी व्यक्ति सूचना देने वाली की मां को 'डायन' कहकर ब्ला रहे थे और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसके लिए एक पंचायती

गांव में भी बुलाया गया और मामला सुलझा लिया गया, लेकिन आरोपी व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और सूचना देने वाले की मां को जान से मारने की धमकी देते थे।

- 3. सूचक की फर्दबेयान के आधार पर, काठीकुंड थाना वाद संख्या 29/1992 धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया गया जो जीआर संख्या 681/1992 और सत्र वाद संख्या 116/1995 से सम्बंधित है।
- 4. अनुसंधान पूरा होने के बाद, सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आरोपी व्यक्तियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इस मामले में संयुक्त रूप से विचारित चार अभियुक्तों में से केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है और अन्य तीन आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करने के बाद बरी कर दिया गया है।

- 5. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित निर्णय पर निम्नलिखित आधारों पर हमला किया गया है:
 - a. यह जोरदार तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल बाहरी विचार पर अपना निर्णय आधारित किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के वजन से परे यात्रा की है, इस तरह, गलत निष्कर्ष पर पहुंची है

- b. अपने तर्क को स्पष्ट करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान विकास ने आगे प्रस्तुत किया है कि माना जाता है कि पीडब्ल्यू -5 बहमुनी हांसदा घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, लेकिन अपनी जिरह में, उसने अभियोजन पक्ष की कहानी को गंभीर झटका दिया है। उसने कहा है कि उसकी सास अकेले गाय के गोबर को निपटाने के लिए खेत में गई है। इसके करीब आधे घंटे बाद वह खेत में गई और देखा कि आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर भाग रहे हैं।
- c. यह भी स्वीकार किया गया है कि मृतक के सिर पर कठोर और कुंद पदार्थ के कारण एक ही वार की चोट थी, जो घातक पाई गई थी और खेत की मेड़ पर उक्त वृद्धा के गिरने के कारण भी हो सकती है।
- d. तथ्यों के अन्य सभी गवाह सूचक सहित वादी साक्षी
 -5 से सुनी सुनाई बात है।
- e. मुकदमे के दौरान गवाहों द्वारा पेश की गई अभियोजन
 की कहानी लगभग असंभव है जैसे कि घातक हथियारों
 से लैस चार व्यक्तियों द्वारा घेर लिया गया हो

 और अन्धाध्न्धा

f.

एक महिला के साथ मारपीट करने पर न केवल एक तरफ बल्कि शरीर के कई हिस्सों पर कई तरह के घाव होंगे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श -5) द्वारा साबित किए गए मृतक को लगी चोटों के आलोक में मौखिक गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पह्ंचा है कि "यह स्पष्ट है कि झटका किसी भी एक अभियुक्त द्वारा किया गया था और यह झटका किसी कठोर कुंद्र पदार्थ के साथ भारी प्रभाव के साथ हुआ था। चूंकि फर्द बयान प्रदर्श-4 के साथ पठित वादी साक्षी.-5 और वादी साक्षी.-6 के साक्ष्य से, यह पता चलता है कि हिलार मरांडी एक तांगी से लैस था, एक भारी धारदार हथियार और मृतक के शरीर पर किसी भी धारदार काटने वाले हथियार से कोई चोट नहीं पाई गई थी, इसलिए यह दृढता से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मृतक के शरीर पर जो चोट पाई गई थी, वह आरोपी हिलार मरांडी द्वारा की गई थी, जो कथित तौर पर तांगा या टांगी से लैस था।

वादी साक्षी.-5 और वादी साक्षी.-6 से यह साबित होता है कि बोदर मरांडी (अपीलकर्ता) एक सबल से लैस था जो एक भारी कठोर कुंद पदार्थ है और मृतक के व्यक्ति पर पाई गई चोट इस तरह के हिथियार से संभावित थी। चूंकि फर्दबयान-5 ने कहा है कि आरोपी बोदर मरांडी ने भी मृतक के साथ मारपीट की थी और यह फर्दबयान (प्रदर्श-4) से पुष्टि करता है कि बोदर मरांडी ने मृतक पर सबल से हमला किया था. यह विश्वसनीय रूप से स्थापित है कि बोदर मरांडी ने मृतक के शरीर पर वह चोट पहुंचाई थी और जैसा कि चोट ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृतक की मृत्यु का कारण बना था जैसा कि डॉक्टर (वादी साक्षी -7) और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट साक्ष्य से स्पष्ट है (प्रदर्श-5). मैं पाता हूं और मानता हूं कि बोदर मरांडी ने मृतका की मौत के इरादे से सबल द्वारा हमला करके उसकी मौत का कारण बना दिया था।

- g. उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर अन्य तीन अभियुक्तों, जो कथित रूप से तांगा और लाठी से लैस थे, को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।
- h. आगे यह तर्क दिया गया है कि एकमात्र अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश अनुमान और संदेहों पर आधारित है। यह हत्या का मामला है, जिसके लिए उच्च गुणवत्ता के साक्ष्य की आवश्यकता है

i.

मृत्य्दंड या आजीवन कारावास की चरम सजा के आरोपों को स्थापित करने के लिए, इस तरह, अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के बारे होने या होना चाहिए की जगह नहीं है बल्कि इसे सभी उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान साक्ष्य के वजन से परे किसी भी तर्क के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, यह स्थापित करने के लिए कोई सब्त नहीं है कि मृतक को चोट पहुंचाने में अपीलकर्ता का एकमात्र कार्य था और ऐसा अभियोजन पक्ष का मामला कभी नहीं था। उसी साक्ष्य के आधार पर, अन्य तीन आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है और वर्तमान अपीलकर्ता को केवल विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार की गई धारणाओं और अनुमानों के आधार पर दोषी ठहराया गया है।

- 6. इसिलए, दोषिसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द करने के लिए उपयुक्त है और अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने का हकदार है।
 - 7. इसके विपरीत, श्रीमती वंदना भारती, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से पेश होकर अपीलकर्ता की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए

प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने बहुत बुद्धिमानी से और उपयुक्त रूप से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,का बारीकी से जाँच किया है और मूल्यांकन किया है, मृतक के शरीर पर पाए गये चोट की प्रकृति और हमले और हथियार के उपयोग के तरीके से अवगत कराया है अपीलकर्ता के अपराध के निष्कर्षों को सही ढंग से दर्ज किया है और उसे सजा सुनाई है। जो इस अपील के माध्यम से किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जिसमें कोई योग्यता नहीं है और खारिज करने के लिए उपयुक्त है।

8. इस अपील में विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं?

विश्लेषण, कारण और निर्णय

9. शुरुआत में, यह उल्लेख करना वांछनीय है कि मामले की सुनवाई चार अभियुक्तों हिलार मरांडी, बोदर मरांडी, बोवा मरांडी और धेना मरांडी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोप तय करके शुरू की गई थी।

वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के लिए कोई अलग आरोप विशेष रूप से तय नहीं किया गया है। सभी अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था, लेकिन विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा अन्य तीन सह-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए केवल वर्तमान अपीलकर्ता को ही

दोषसिद्ध किया गयाऔर सजा सुनाई गई।

चूंकि यह हत्या का मामला है और अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, इसलिए चश्मदीद गवाह की गवाही और दस्तावेज पर उपलब्ध अन्य भौतिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिए अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है।

- 10. इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा कुल मिलाकर आठ गवाहों का परीक्षण किया गया, उनमें से केवल वादी साक्षी.-5 बहमुनी हांसदा, जो सूचक की पत्नी और मृतक बहू है, को घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह कही जाती है। विचारण न्यायालय ने वादी साक्षी -5 की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है, जो इस मामले में साबित हुई मृतक की पंचनामा और अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम)रिपोर्ट के आलोक में उसके पति प्रबत मरांडी (वादी साक्षी -6) की गवाही से पुष्टि करता है।
- 11. मामले की बेहतर समझ के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा
 परीक्षण किए गए गवाहों की मौखिक गवाही का मूल्यांकन करना
 उचित है।
- 12. वादी साक्षी .-5 बहमुनी हांसदा ने गवाही दी है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 5:00 बजे, वह अपनी सास मुनि

मुर्मू (चूंकि

मृतक) अपने खेत डेडी बहियार में गोबर का निपटान करने जा रहे थे। इसी बीच हिलार मरांडी, बोदर मरांडी, बोवा मरांडी और धेना मरांडी ने खेत डेडी बहियार के पास इस गवाह की सास के साथ मारपीट श्रू कर दी। उसने आगे बताया है कि बोदर मरांडी (अपीलकर्ता) सबल से लैस था, हिलार तांगा से लैस था, धेना और बोवा के पास ठेंगा (लाठी) आरोप है कि सभी आरोपियों ने उसकी सास के साथ मारपीट की, जिसके कारण उसकी सास के सिर और मुंह पर चोटें आई हैं। उसने शोर मचाया तो ब्लाई मरांडी (वादी साक्षी.-4), मंगल ट्डू (पी.डब्ल्यू.-3) और प्रबित मरांडी (वादी साक्षी 6) घटना स्थल पर पहुंचे। गवाहों को आता देख आरोपी फरार हो गए। उसकी सास की मोके पर ही मौत हो गई और उसके शव को इस गवाह द्वारा एक ब्लाई मरांडी (वादी साक्षी 4) के साथ खेत के मेड पर लाया गया।

अपनी जिरह में, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार

किया कि आरोपी व्यक्तियों के साथ पूर्व में हाथापाई और विवाद

<u>चल रहा था, वे मृतक को "डायन" कह रहे थ</u>े।

उसने अपने पूर्व के कथन को गंभीर झटका दिया है और स्वीकार किया है कि उसकी सास गाय के गोबर के साथ खेत में गई थी और आधे घंटे के बाद वह गोबर का निपटान करने के लिए खेत में भी गई, फिर उसने देखा कि आरोपी व्यक्ति खेत में उसकी सास के साथ मारपीट कर रहे थे, जो कीचड़ और पानी से ढका हुआ था। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसकी सास को शरीर के केवल दाहिने हिस्से पर चोटें आई हैं।

वह यह भी बताती है कि बुलाई मरांडी (वादी साक्षी.-4) आधे घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची।

अपनी जिरह में वह यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि वह यह नहीं बता सकती कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसकी सास को सबल, तांगा या थेंगा (छड़ी) के कितने वार किए गए थे, लेकिन उसकी सास पर सबल, तांगा या थेंगा (छड़ी) के कई वार किए गए थे। मारपीट की घटना करीब आधे घंटे तक चलती रही। कई ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन वह उनके नाम नहीं बता सकती। मृतक पर पहले पीछे से 1 से 1½ फीट (एक हाथ) की दूरी पर हमला किया गया था। छड़ी मोटी नहीं थी और लंबाई लगभग थी 1½ फीट (एक हाथ)। इस गवाह के लिए सुझाव दिया गया था अभियुक्त व्यक्तियों के साथ पूर्व में हुई शत्रुता के कारण झूठे साक्ष्य देना, जिसे उसने इनकार किया है।

13. वादी साक्षी.-6 प्रबत मरांडी, जो मामले के सूचक हैं, ने गवाही दी है कि घटना की तारीख को लगभग 5:00 बजे उनकी मां और पत्नी डेडी बहियार खेत में गोबर का निपटान करने गई थी, इसी बीच उसने अपनी पत्नी की आवाज सुनी और अपने खेत की ओर गया तो देखा कि आरोपी व्यक्ति हिलार, बोदर और ढेना उसकी मां के साथ मारपीट कर भाग रहे थे। उन्होंने आगे वर्णन किया है कि हिलार तांगा से लैस था, बोदर सबल से लैस था और ढेना और बोवा के पास लाठी है। उसकी मां खेत में मृत पड़ी थी और उसके शव को उसकी पत्नी और गवाह बुलाई मरांडी (वादी साक्षी-4)द्वारा खेत के मेड पर लाया गया था। उसके सिर, माथे और कान पर चोटें आई हैं। उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर (प्रदर्श-1/2) साबित किए हैं।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्ति उनकी मां को '*डायन*' कहकर बुला रहे थे, लेकिन इससे पहले आरोपियों के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई है।

अपनी जिरह में, यह गवाह काफी हद तक स्वीकार करता है कि घटना के स्थान पर पहुंचने से पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि उसकी मां को कितने समय बाद खेत से बाहर लाया गया, जो कीचड और पानी से ढका हुआ था, लेकिन जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तो उसकी मां का शव खेत के मेड पर रखा गया था।

यह गवाह फिर से दोहराता है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तो आरोपी व्यक्ति भाग गए थे।

इस गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि वृद्धावस्था के कारण उसकी मां गाय के गोबर के भारी बोझ के साथ गिर गई और कीचड़ और पानी के क्षेत्र में गिरने से लगी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई और आरोपी व्यक्तियों को पिछली दुश्मनी और संदेह के कारण झूठा फंसाया गया है।

- 14. वादी साक्षी.-1 चरण कोले ने अपने मुख्य परीक्षण में बस इतना ही कहा है कि सुबह घटना की तारीख को वह अपने खेत में जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि मुनि मुर्मू खेत में मृत पड़ी थीं। उसके सिर और कान पर चोट के निशान थे। घटना स्थल पर इमामुएल, बुलाई, प्रबित व ग्राम प्रधान मंगल टुडू मौजूद थे। उसे नहीं पता कि मृतक की मौत कैसे हुई और उसने मृतक के साथ मारपीट करते हुए भी किसी को नहीं देखा था।
- 15. वादी साक्षी.-2 इमामुएल मरांडी को प्रबित (सूचक) से सुबह करीब 7 से 7:30 बजे पता चला कि किसी ने उसकी मां की हत्या कर दी है, तो वह प्रबित के साथ खेत में गया और मुनि मुर्मू का शव खेत की मेड़ पर पड़ा देखा। वह यह नहीं बता सकता कि मृतक को कैसे और किन परिस्थितियों में चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

16. वादी साक्षी.-3 मंगल टुडू ग्राम प्रधान है। वह केवल मृतक की पंचनामा (एन्क्वेस्ट रिपोर्ट) का गवाह है और उसने पंचनामा (एन्क्वेस्ट रिपोर्ट)पर प्रदर्श-1/1 के रूप में अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं।

अपनी जिरह में, यह गवाह स्पष्ट रूप से स्वीकार

करता है कि मुनि मरांडी बह्त बूढ़ी औरत थी और मिर्गी से पीड़ित थी और घटना की तारीख पर भारी बारिश हुई थी। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें "डायन" कहने के बारे में कोई भी पंचायत गांव में कभी नहीं ह्ई। प्रबित (स्चक) ने भी कभी उसे अपनी मां को "डायन" कहने की शिकायत नहीं की। 17. वादी साक्षी.-4, बुलाई मरांडी ने गवाही दी है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 8:00 बजे पूर्वाहन पर घटना हुई थी। वह प्रकृति की पुकार का निर्वहन करने जा रहा था, तभी बहम्नि (पी.डब्ल्यू.-5) ने उसे बुलाया, फिर वह बहमुनी के खेत में गया और देखा कि मुनि मरांडी खेत में मृत पड़ी है, तब उसने बहमुनि के साथ मिलकर शव को बाहर निकाला और खेत की मेड़ पर रख दिया। उन्होंने शरीर पर कोई चोट नहीं देखी है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि बहमुनी ने उन्हें मुनि मरांडी की मृत्यु के कारण के बारे में नहीं बताया। वह मुनि मरांडी की मृत्यु के कारणों के बारे में नहीं जानते हैं। वह यह भी स्वीकार करता है कि मृतक के साथ मारपीट करते समय उसने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था।

18. वादी साक्षी-7, काठीकुंड थाना के तत्कालीन प्रभारी महेंद्र प्रसाद गुप्ता इस मामले के जांच अधिकारी हैं। उनके साक्ष्य के अनुसार, 16.07.1992 को गांव चौकीदार हाफिज मियां ने उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला की हत्या के बारे में सूचित किया। इस संबंध में उन्होंने सन्हा दर्ज (एस.डी.ई.) किया और ग्राम-झिलिमिली में घटना स्थल की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने सूचक प्रबित मरांडी की फर्द बयान (प्रदर्श-4) दर्ज की। तदनुसार, धारा 302 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जो डेडी बहियार के गांव-झिलिमिली में स्थित है, जो पानी से ढके सूचक का जुता हुआ खेत है। मुनि मरांडी का शव उत्तर-पूर्व की ओर उक्त खेत के मेड पर पड़ा था।

यह खुलासा किया गया कि शव को गवाहों द्वारा खेत से मेड पर लाया गया था। गवाहों द्वारा यह भी खुलासा किया गया कि आरोपियों ने टांगा, सबल और लाठी आदि से घायल करके मृतक की हत्या की है।

घटना स्थल से सटे आरोपियों की जमीन भी थी। उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में मृतक का पंचनामा (एन्क्वेस्ट रिपोर्ट)

(प्रदर्श-3) तैयार की है।

अनुसंधान के क्रम में उन्होंने गवाह बहमुनी हांसदा, बुलाई मरांडी, चरण कोले, इमामुएल मरांडी, मंगल टुडू, ढेना मरांडी आदि के बयान दर्ज किए।

अनुसंधान पूरा होने के बाद, उन्होंने आईपीसी की धारा सहपठित 34/302 के तहत अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अपनी जिरह में, उसने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि सूचक और उसकी पत्नी को छोड़कर, किसी अन्य गवाह ने उसके द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में दावा नहीं किया है कि उन्होंने मृतक पर हमला करते समय आरोपी व्यक्तियों को देखा है। वह यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी गवाह ने उसके सामने यह नहीं बताया कि किस आरोपी ने किस हथियार से पहला वार किया। वह यह भी स्वीकार करता है कि घटना का स्थान यानी क्षेत्रफल चार कोनों से मेड से घिरा ह्आ था, जिसकी ऊंचाई 1½ "या उससे अधिक थी। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि इस घटना से पहले किसी भी घटना के लिए पक्षों के बीच कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने आरोपियों के घर पर छापा मारा, लेकिन उन्हें कोई हथियार नहीं मिला।

उन्होंने बचाव के इस सुझाव से इनकार किया कि खेत की मेड़ पत्थर से ढकी हुई थी। खेत में भारी भरकम गोबर लेकर जा रही वृद्धा के शरीर के एक तरफ चोट आई है। उसकी मौत हो गई और किसी ने उसके साथ मारपीट नहीं की। वह मामले की ठीक से जांच करने में विफल रहा है और मुखबिर के साथ मिलीभगत से आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

19. वादी साक्षी.-8 डॉ. दिलीप सिंह, जिन्होंने 17.07.1992 को दोपहर 12:00 बजे मुनि मुर्मू के शव का अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) किया है और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोट पायें है: -

लैसीरेटेड (फटा) चोट 3 "x 1" मस्तक

के दाहिने तरफ गहरी हड्डी तक दाहिने कान तक फैला ह्आ है।

विच्छेदन पर, ललाट के दाहिने तरफ अवनत अस्थि भंग पाया गया, जिसके कारण मस्तिष्क और मेनिन्जेस (मष्तिष्क आवरण) खराब (लैसीलेटेड) हो गए थे और कपाल में रक्त का विशाल संग्रह देखा गया था।

वादी साक्षी -8 के मत के अनुसार उक्त चोट कठोर कुंद पदार्थ के कारण हुई थी। मृत्यु का कारण 48 घंटों के भीतर खोपड़ी की चोट के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे के कारण हुआ था। 20. गवाहों के प्रत्यक्ष दर्शी साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि केवल वादी साक्षी -5 बहमुनी मरांडी ने ही घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है। वह मृतक के साथ थी। सभी आरोपियों ने मृतका पर अपने-अपने हथियारों से हमला किया, जब उसने शोर मचाया तो आरोपी फरार हो गए।

सूचक-सह- मृतक का पुत्र वादी साक्षी.-6 ने भी आरोपियों को उनके संबंधित हथियारों के साथ घटना स्थल से भागते समय देखने का दावा किया है।

- 21. कानून अच्छी तरह से तय है कि दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है यदि उसका उसका / उसकी सबूत भरोसेमंद, विशुद्ध गुणवत्ता के, बेदाग और बिल्कुल विश्वसनीय पाए जाते हैं।
- 22. अमर सिंह बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में।

 आपराधिक अपील संख्या 335/2015 में पारित किया, (2020) 19

 एससीसी 165 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय

 ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए

 आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया।

भारतीय दण्ड संहिता . ने निम्नानुसार दोहराया है: -

"एक सामान्य नियम के रूप में, अदालत एकल चश्मदीद गवाह की गवाही पर कार्य कर सकती है और कर सकती है, बशर्ते वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो। किसी एक गवाह की एकमात्र गवाही पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

ऐसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है लेकिन अगर गवाही के बारे में संदेह है, तो अदालतें पुष्टि पर जोर देंगी। यह संख्या नहीं है, मात्रा है लेकिन गुणवत्ता जो सामग्री है। समय से सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। इस सिद्धांत पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 का भवन खड़ा है। परीक्षण यह है कि क्या सबूत में सत्यता (सत्य की अंगूठी) है, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या अन्यथा।

- 23. उपरोक्त उद्धरण से, कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है यदि यह विश्वास को प्रेरित करती है।
- 24. अपीलकर्ता के खिलाफ तत्काल मामले में दी गई दोषसिद्धि और सजा का परीक्षण उपरोक्त स्थापित मानदंड के आधार पर किया जाना है।
- 25. अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वादी साक्षी -5 बहमुनी मरांडी (एकमात्र चश्मदीद गवाह) की गवाही स्पष्ट, ठोस, बेदाग और भरोसेमंद है या यह भौतिक विरोधाभासों और अंतर्निहित असंभवता से ग्रस्त है, जो किनारे कर देने लायक है
- 26. एकमात्र चश्मदीद गवाह, बहमुनी हांसदा (वादी साक्ष्य5) सिहत तत्काल मामले में जांच किए गए प्रत्यक्ष दर्शी की गवाही से भौतिक विरोधाभास, विसंगतियां और जानबूझकर झूठ का अनुमान लगाया जा सकता है:
 - a. वादी साक्षी -5 बहम्नी हांसदा

ने अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना की तारीख को सुबह लगभग 5:00 बजे वह अपनी सास के साथ अपने खेत में गोबर का निपटान करने जा रही थी। दोनों खेत में पहुंचे तो सभी आरोपी व्यक्तियों हिलार मरांडी, बोदर मरांडी, बोवा मरांडी और ढेना मरांडी ने अपनी सास के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने आरोपियों के हथियार का भी वर्णन किया है। उसके अलार्म पर वादी साक्षी 3, 4 और 6 वहां पहुंचे, फिर आरोपी व्यक्ति भाग गए। वह वादी साक्ष्य-4 बुलाई मरांडी के साथ शव को खेत की मेड़ के पास ले आई, लेकिन जिरह में वह स्वीकार करती है कि उसकी सास पहले गोबर लेकर गई थी और वह आधे घंटे बाद घर से निकली थी।

- b. वादी साक्षी -5 ने यह भी दावा किया है कि उसने आरोपी व्यक्तियों को अपनी सास पर उनके संबंधित हथियारों से हमला करते हुए देखा था, लेकिन मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अंत्यपरीक्षण) (प्रदर्श-5) कठोर कुंद पदार्थ के कारण माथे पर एकल चोट दिखाती है, हालांकि वह दावा करती है कि सबल, तांगा और छड़ी से कई वार उसकी सास को किए गए थे और यह घटना लगभग आधे घंटे तक जारी रही।
- c. वादी साक्षी -4 बुलाई मरांडी भी आधे घंटे बाद घटना स्थल पर वादी साक्षी 5 के पुकार पर पहुंची,
- 5. वादी साक्षी -4 प्रथम गवाह है, जो वादी साक्षी.-5 के शोर को सुनकर घटना के स्थान पर पहंचा। उसने दावा किया है कि

उसने बहमुनी मरांडी (.वादी साक्षी -5) की मदद से मुनि मरांडी के शव को बाहर निकाला था और खेत की मेड़ पर रखा था। तथापि, वादी साक्षी -5 ने इस गवाह को मुनि मरांडी की मृत्यु के कारण या किसी व्यक्ति द्वारा मृतक पर किए गए किसी हमले के बारे में नहीं बताया है। उसने आरोपी को मारपीट करते हुए या मौके से भागते हुए नहीं देखा है।

d. वादी साक्षी 6, प्रबित मरांडी, जो सूचक है- सह-पुत्र का वही मृत था निस्संदेह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि वह वहां गया था के बाद सुनवाई अलार्म का उसका पत्नी लेकिन दावा किया है तक देखनाअभियुक्त व्यक्तियों भागने दूर जिसमें अपीलकर्ता अपने संबंधित हथियारों के साथ शामिल है। वह यह भी स्वीकार करता है कि शव को उसकी पत्नी और वादी साक्षी.-4 बुलाई मरांडी द्वारा खेत के मेड पर खेत से बाहर लाया गया था।

आरोपी व्यक्तियों को घटना स्थल से भागते हुए देखने के बारे में इस गवाह के दावे का झूठा होना उसकी जिरह से स्पष्ट है, जिसमें वह स्वीकार करता है कि घटना स्थल पर पहुंचने से पहले, उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। शव

कीचड़ से सना हुआ था और जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो मां का शव खेत के रिज पर रखा हुआ था। इसलिए, घटना स्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बुलाई मरांडी था, जिसने दावा किया है कि घटना स्थल से भागते समय भी उसने किसी भी आरोपी व्यक्ति को नहीं देखा है। बुलाई मरांडी (वादी साक्षी.-4) ने वादी साक्षी.-5 के साथ शव को खेत की मेड़ पर लाया। ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी व्यक्तियों को उनके संबंधित हथियारों के साथ देखने के बारे में वादी साक्षी -6 के दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

- e. स्वीकृति है, कि वादी साक्षी -5 अपनी सास के आधे घंटे के बाद अपने घर से घटना स्थल पर गई, जहां उसने उसका शव देखा और शोर मचाया । उसकी सास को दिया गया मारपीट का तरीका मृतक को लगी चोट से मेल नहीं खाता है।
- f. किसी भी गवाह ने घटना के पीछे के मकसद की पुष्टि नहीं की है, यानी घटना से एक महीने पहले से आरोपी व्यक्तियों द्वारा मृतक को "डायन" बुलाना। इस तथ्य का न तो ग्राम प्रधान मंगल टुडू (वादी साक्षी.-3) ने समर्थन किया और न ही जांच अधिकारी (वादी साक्षी.-7) ने।
- g. वादी साक्षी.-5, बहमुनी मरांडी और वादी साक्षी.-6 प्रिबत मरांडी ने पूर्व के विवाद के बारे में स्वीकार किया है

अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ विवाद और एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं होती थी ।

- 27. यह स्थापित कानून है कि दुश्मनी दोधारी हथियार है और दोनों सिरों से काटती है। यह अपराध करने के लिए मकसद प्रस्तुत करता है और झूठे फंसाने का आधार भी प्रस्तुत करता है।
- 28. एकमात्र चश्मदीद गवाह वादी साक्षी.-5 की बारीकी से जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसकी गवाही भौतिक विरोधाभासों और दुर्बलताओं से ग्रस्त है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, केवल वादी साक्षी -5 और वादी साक्षी -6 के साक्ष्य पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कानून के तहत बिल्कुल न्यायसंगत नहीं माना जाता है।
- 29. विद्वान विचारण न्यायालय चश्मदीद गवाहों की गवाही में भौतिक कमजोरियों की ठीक से सराहना करने में विफल रहा है, जो खुद को अविश्वसनीय बताते हैं और एकमात्र अपीलकर्ता को कथित अपराध के लेखक के रूप में मानते हुए कानून की गंभीर त्रुटि की है, हालांकि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता है कि उसने अकेले मृतका को सबल झटका दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है।
- 30. विद्वान विचारण न्यायालय आपराधिक न्यायशास्त्र के समय-परीक्षणित सिद्धांत को ध्यान में रखने में भी विफल रहा है कि जहां दो विचार संभव हैं, एक जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

- 31. उपरोक्त चर्चाओं और कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में योग्यता पाते हैं। तदनुसार, सत्र वाद संख्या 116/1993 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 22.04.1995 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 25.04.1995 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है।
- 32. परिणाम में, अपील की अनुमति दी जाती है।
 - 33. अपीलकर्ता जमानत पर है। उसे जमानत के बंध्य पत्र के दायित्व से भी उन्मोचित किया जाता है और जमानतदारों को भी उन्मोचित किया जाता है
 - 34. विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को त्रंत वापस भेजा जाए।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे।)

मैं सहमत हूँ

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे।)

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची दिनांक, 21 फरवरी, 2024। सुनील /**ए.एफ.आर.**

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]